जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

कोटा

Rashtradoot

फोनः- 2386031, 2386032 फैक्सः- 0744-2386033 वर्षः 50 संख्याः 162 प्रभात कोटा, शुक्रवार 28 मार्च, 2025 कोटा/24/2012-14 पृष्ठ 8 मूल्य 2.50 रु.

'ममता बनर्जी, बाँग्लादेश व म्याँमार के घुसपैठियों को मदद कर रही हैं, भारत में प्रवेश के लिए'

संसद में फॉरैनर्स विधेयक पर बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए ममता बनर्जी, देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही हैं

-अंजय रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 27 मार्च। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वही दोहराया है, जो जगजाहिर है।

विदेशियों से संबंधित विधेयक पर अपने जवाब में उन्होंने शिकायत की है कि बंगाल सरकार ने बाँग्लादेश से आये घुसपैठियों तथा म्याँमार से आये रोहिंग्याओं को पहचान पत्र प्रदान कर दिये हैं। पहचान पत्र के साथ अवैध रूप से आये ये लोग पूरे देश में फैलते जा रहे हैं। बंगाल सरकार का व्यवहार पूरे देश की सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है तथा आम जनता की सुरक्षा के मामले में समझौता कर रहा है। शाह ने कहा कि यह विदेशी विधेयक (फॉरैनर्स बिल) लागू होने के बाद, देश में प्रवेश करने वाले विदेशियों की कई स्तरों पर मॉनिटरिंग का तंत्र उपलब्ध करायेगा। यह विधेयक सुरक्षा-संबंधी प्रयोजनों के लिए आवश्यक खुफिया तंत्र भी उपलब्ध करायेगा।

अमित शाह ने वही बात कही है, जो हमेशा से ज्ञात रही है। बंगाल सरकार राज्य में अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए

- शाह के अनुसार, ममता बनर्जी इन घुसपैठियों को अस्थाई रुप से रहने व छुपने के लिये स्थान देती हैं तथा फिर आइडैंटिटी कार्ड (आधार कार्ड) मुहैया कराकर देश भर में फैलने का मौका देती हैं।
- ''यह वोट बैंक बढ़ाने की रीति-नीति चौंतीस साल, वामपंथी सरकार ने भी चलाई थी तथा एक विपक्ष की नेता के रूप में ममता बनर्जी संसद में जमकर विरोध करने में सबसे आगे रहती थीं, पर, अब सत्ता में आने के बाद ममता बनर्जी स्वयं उस रीति-नीति का अनुसरण कर रही हैं।''
- शाह ने इसी संदर्भ में संसद में यह भी कहा कि ममता बनर्जी की सरकार, सीमा पर फैन्सिंग कराने में भी पूरी बाधाएं खड़ी करती हैं। पहले तो फैन्सिंग के लिए भूमि नहीं दी जाती, अगर किसी तरह फैन्सिंग का काम शुरु भी हो तो तृणमूल के बाहुबली, भारी विरोध करते हैं और फैन्सिंग का काम रोकना पड़ता है।

बाँग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के अवैध प्रवेश को प्रोत्साहित कर रही है। त्वरित लाभ के लिए यह जो किया जा रहा है, राष्ट्र-हित के साथ घृणित समझौता है।

शाह ने कहा कि बंगाल सरकार ने सीमा पर बाड़ के लिए जमीन आवंटित नहीं की है। जहाँ भी बॉर्डर फैन्सिंग का काम चल रहा था, वहाँ तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने विरोध किया था और काम रूकवा दिया था। इसका नतीजा यह हुआ कि आज भारत-बाँग्लादेश सरहद पर कहीं से भी घुसपैठ संभव है।

लोग दण्ड भय मुक्त होकर बंगाल में आ रहे हैं तथा सीमा से लगे इस राज्य की जनसांख्यिकीय प्रकृति (डैमोग्रफिक नेचर) बदल रही है। इससे स्थानीय बंगालियों के हितों को नुकसान पहुँच रहा है, क्योंकि घुसपैठिये, राज्य सरकार तथा तृणमूल कांग्रेस के गुन्डों की मदद से, यहाँ रहने वाले बंगालियों की जमीन छीनकर अवैध रूप से आने वाले घुसपैठियों को बसाने में उनकी मदद कर रहे हैं।

अवैध घुसपैठियों से अपना वोट बैंक बनाने और बढ़ाने की यही रणनीति राज्य की कम्यूनिस्ट सरकारों ने अपनायी थी। वामपंथी मोर्चे के 34 साल के शासनकाल में, कम्यूनिस्टों ने अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दिया था।

विडम्बना देखिये, इन्हीं ममता बनर्जी, जब वे विपक्षी नेता थीं, ने अवैध घुसपैठियों को चुपचाप आने देने की वामपंथी मोर्चे की चाल का जोरदार विरोध किया था। उन्होंने उस समय बंगाल में हो रहे अवैध प्रवेश का संसद

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

रीट पेपर लीक की जाँच सीबीआई को नहीं दी जाएगी

जयपुर, 27 मार्च। राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए आयोजित रीट-2021 परीक्षा के पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई को सौंपने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में दायर याचिकाओं को निस्तारित कर दिया है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस प्रमिल कुमार माथुर की खंडपीठ ने यह आदेश अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जनहित याचिका सहित अन्य याचिकाओं को निस्तारित करते हुए ये आदेश दिए।

याचिकाओं में कहा गया था कि

- राजस्थान हाई कोर्ट ने रीट पेपर लीक की जाँच सीबीआई से करवाने की मांग करने वाली एबीवीपी व अन्य की याचिका खारिज करते हुए यह आदेश दिया।

परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। एसओजी ने पेपर लीक की बात मानते हुए कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। पेपर लीक में बड़े लोगों का हाथ होने की आशंका है। ऐसे में मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। जिसके जवाब में राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने अदालत को बताया कि उक्त परीक्षा को रद्द कर दोबारा परीक्षा करवाई जा चुकी है, वहीं एसओजी ने भी मामले में जांच की है। ऐसे में याचिकाओं को निस्तारित किया जाए।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पद्मेश मिश्रा की ए.ए.जी. पद पर नियुक्ति के विरुद्ध अपील दायर

हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह और न्यायाधीश प्रमिल कुमार माथुर ने इस मामले की अगली तारीख 4 अप्रैल तय की है

-यादवेन्द्र शर्मा-

जयपुर, 27 मार्च। राजस्थान हाई कोर्ट में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एडीशनल एडवोकेट जनरल (ए.ए.जी.), पद्मेश मिश्रा की नियुक्ति के खिलाफ अपील दायर की गई है। इस अपील में अधिवक्ता सुनील समदड़िया ने हाईकोर्ट के एकल पीठ द्वारा 4 फरवरी को दिए गए आदेश को चुनौती दी है, जिसके तहत अधिवक्ता पद्मेश मिश्रा की नियुक्ति को उचित ठहराया गया था। जैसा कि विदित है कि राज्य सरकार ने पद्मेश मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट में पैरवी के लिए नियुक्त किया था।

इस अपील की पहली सुनवाई मुख्य न्यायाधीश एम.एम. श्रीवास्तव और न्यायाधीश भुवन गोयल के समक्ष 3 मार्च को हुई थी, परन्तु मुख्य न्यायाधीश ने इस मामले को सुनवाई के लिए किसी अन्य खण्डपीठ को सौंपे जाने के आदेश दिए थे और उन्होंने स्वयं इस मामले को सुनने के लिए असमर्थता बताई थी।

यह मामला न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह और न्यायाधीश प्रमिल कुमार माथुर की खण्डपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हुआ था। अदालत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता अधिवक्ता सुनील समदड़िया को आदेश दिए कि वे अपील की प्रति राज्य सरकार की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ

- जैसा कि विदित है, इस मामले में याचिकाकर्ता सुनील समदड़िया का कहना है कि राज्य सरकार ने अपनी वादनीति 2018 में उचित और उपयुक्त संशोधन नहीं किए और नीति की अवहेलना करते हुए पद्मेश मिश्रा को ए.ए.जी. घोषित कर दिया।
- नियुक्ति के लिए अधिवक्ता को कम से कम 10 साल का अनुभव होना अनिवार्य बताया गया है, जो पद्मेश मिश्रा के पास नहीं है।

अधिवक्ता और ए.ए.जी. भरत व्यास को सौंपें। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 4 अप्रेल को तय की है।

जैसा कि विदित है, इस मामले में याचिकाकर्ता का कहना है कि राज्य सरकार ने अपनी वादनीति 2018 में उचित और उपयुक्त संशोधन नहीं किए और नीति की अवहेलना करते हुए पद्मेश मिश्रा को ए.ए.जी. घोषित कर दिया।

याचिकाकर्ता का कहना है कि वादनीति 2011 में ए.ए.जी. घोषित करने के लिए न्यूनतम अनुभव के संबंध में कोई मापदंड निर्धारित नहीं था, केवल यह कहा गया था कि सरकारी वकील बनने के लिए 7 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है, परन्तु वर्ष 2018 की वादनीति के तहत, ए.ए.जी. की नियुक्ति के लिए अधिवक्ता के पास कम से कम 10 साल का अनुभव होना अनिवार्य है, जो पद्मेश मिश्रा के पास नहीं है।

याचिकाकर्ता का कहना है कि पद्मेश मिश्रा के सुप्रीम कोर्ट में पैनल लॉयर नियुक्त होने के तीन दिन के भीतर राजस्थान सरकार ने वादनीति में संशोधन किया (जो बिलकुल भी स्पष्ट और नीतिगत नहीं है) और फिर पद्मेश मिश्रा को संशोधित नियम के तहत ए.ए.जी. घोषित कर दिया। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह संशोधन राज्य सरकार को किसी भी व्यक्ति विशेष को ए.ए.जी. घोषित करने का अधिकार देता है, परन्तु यह संशोधन नीति की अन्य धाराओं के विरूद्ध है, जिसमें ए.ए.जी. के नियुक्ति के लिए न्यूनतम अनुभव के मापदण्ड दिए गए हैं।

याचिकाकर्ता का कहना है कि

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

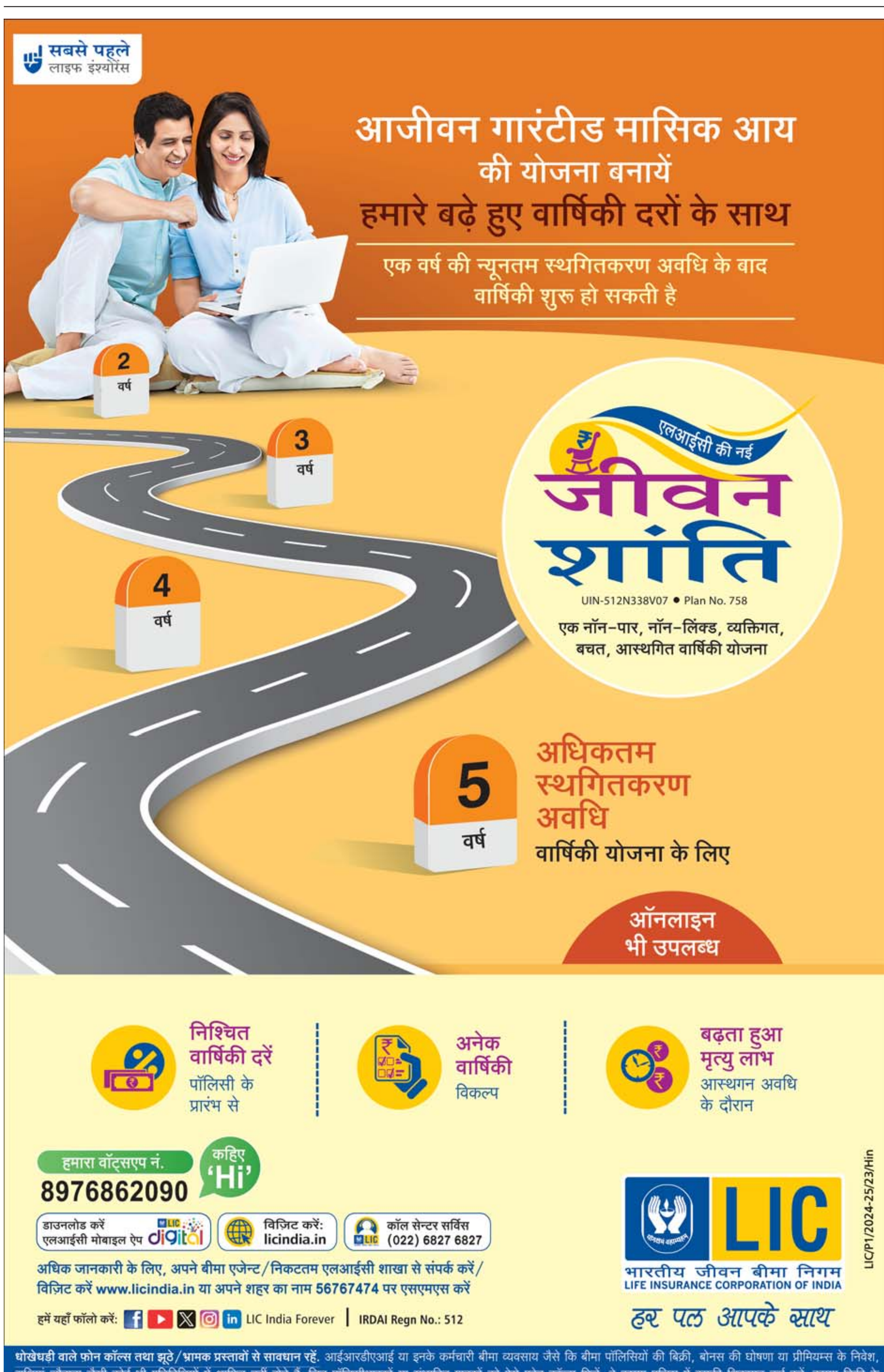

म्युचुअल फ़ंड निवेश बाज़ार के जोखिमों के अधीन हैं, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।